कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–बालोद, (छ.ग.)
Phone & Fax No 07749-223919, NRHM: 07749-223920, E-mail ID- cmobalod@gmail.com

पत्र क्रमांक/एनएचएम/वा.नि./2017/4233 बालोद, दिनांक 09/8/17

// वाहन किराये हेतु निविदा आमंत्रण सूचना //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बालोद हेतु एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत् (विकासखण्ड बालोद,गुरूर,गुण्डरदेही,डौंडी एवं डौण्डीलोहारा हेतु) जिला एवं जिले के बाहर दौरे हेतु जीप/कार श्रेणियों के वाहन कि.मी./दैनिक एवं मासिक आधार पर वाहन की आवश्यकता है। उक्त संबंध में ट्रेव्हल एजेंसी फर्म जो कि जिला बालोद छ.ग. के निवासी हो/फर्म का कार्यालय जिला बालोद में स्थापित हो एवं पंजीकृत हो से मोहरबंद निविदाएं पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/पी. एण्ड टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से नीचे उल्लेखित निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्यालयीन दिवस पर 11:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक रू. 1000/– (एक हजार रू. मात्र) निविदा प्रपत्र मूल्य का डी.डी. जो कि नॉन रिफंडेबल है, जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। डी.डी. **"District Health Society Balod- NRHM Fund Group Account Balod, A/C No.- 32266208635"** के नामे ही स्वीकार किये जायेंगे।

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक– 18/08/2017 को दोपहर 02:00 बजे तक।
2. निविदा पूर्व शंका समाधान बैठक – 18/08/2017 को सायं 04:00 बजे से।
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक– 26/08/2017 को दोपहर 02:00 बजे तक।
4. निविदा खोले जाने की तिथि दिनांक – 28/08/2017 को सायं 04:00 बजे से।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा संबंधित संपूर्ण विवरण नियम व शर्तो का अवलोकन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद के सूचना पटल एवं **www.balod.gov.in** पर किया जा सकता है।

9.8.17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

वाहन प्रदाय हेतु

निविदा प्रपत्र

2017-18

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हता :–

1. निविदाकर्ता फर्म के पास न्यूनतम वाहन संख्या **(टैक्सी परमिट युक्त)** 01 होनी चाहिए। वाहन निविदाकर्ता, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से पंजीकृत होना चाहिए। (पंजीकरण विभाग द्वारा जारी वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
2. 03 वर्ष से अधिक पुराने वाहन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. निविदाकर्ता फर्म की एक शाखा जिला बालोद छ.ग. में स्थापित हो। (कार्यालय के नाम से बैंक पासबुक, बिजली बिल इत्यादि की छायाप्रति संलग्न करें।)
4. निविदाकर्ता का **TIN/GST/ST** पंजीयन होना चाहिए। (यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों। कर विभाग द्वारा जारी किये गये **TIN/GST/ST** पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
5. निविदाकर्ता के पास स्वयं का वाहन होना अनिवार्य है, किसी अन्य व्यक्ति/फर्म के नाम से वाहन मान्य नही होगा।
6. विगत् 03 वित्तीय वर्षो का आयकर विवरण प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।
7. शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मंडल/शासकीय उपक्रम अंतर्गत वाहन परिचालन करने का **न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव** होना चाहिए। संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश एवं प्रमाण पत्र पृथक–पृथक संलग्न करें।
8. निविदाकर्ता फर्म की विद्यमानता (Existence) निविदा दिनांक से न्यूनतम 02 वर्ष होना चाहिए। (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. वाणिज्यिक कर विभाग का **अनापत्ति प्रमाण पत्र** (Clearence Certificate) संलग्न करें।

5·8·17

परिशिष्ट "अ"

नियम एवं शर्तें –

1. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 1000/– का बैंक ड्राफ्ट **"District Health Society Balod- NRHM Fund Group Account Balod, A/C No.- 32266208635"** में देय होगा। जो किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नही होगा।
2. **अमानत राशि रू. 45,000/–(अक्षरी पैंतालिस हजार रू.) "District Health Society Balod- NRHM Fund Group Account Balod, A/C No.- 32266208635"** में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, अलग से लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा। (लिफाफे में स्पष्ट शब्दों में जहाँ वाहन सेवा प्रदाय की जानी है उस स्थान का नाम स्पष्ट शब्दों में अंकित करे।)
3. चयनित फर्मो की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
4. **वाहन किराये के संबंध में समस्त राशि (मासिक किराया दर एवं पेट्रोल/डीजल) बजट में स्वीकृत राशि 40000/– रूपये प्रतिमाह से किसी भी दशा में अधिक नही होगी।**
5. **जिला बालोद अंतर्गत 5 विकासखण्ड है, जिस स्थान पर सेवा प्रदाय की जानी है विकासखण्ड एवं जिला कार्यालय हेतु पृथक–पृथक निविदा अमानत राशि 45,000/– जमा करना होगा।**
6. प्रतिमाह किराया दर मे वाहन ए.सी. 2500 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
7. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित है जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
8. वाहन प्रतिदिन दर में 100 कि.मी. प्रति अर्द्ध दिवस किराया दर में 50 कि.मी. एवं प्रतिमाह दर में 2500 कि.मी. चलन के उपरांत प्रति कि.मी. न्यूनतम मान्य दर से भुगतान किया जावेगा जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
9. सेवा प्रदायित वाहन किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
10. फर्मो के पास स्वयं का वाहन होना अनिवार्य है। इन **वाहनों के पंजीयन संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जावे।**
11. चयन प्रक्रिया L–1 (Lowest-One) आधार पर की जावेगी।
12. सेवा हेतु चयनित वाहनों का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
13. चाही गई सेवा एवं प्रदायित सेवा के अनुरूप संतुष्टि की दशा में सेवा अवधी अनुबंध अगामी शर्तो हेतु आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
14. समय–समय पर पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन की दरों में परिवर्तन की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा अमानत राशि राजसात् कर ली जावेगी।
16. निविदाकर्ता फर्म का कार्यालय जिला बालोद स्थित होना चाहिए।
17. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।
18. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नही होगा।
19. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। समस्त वाहनों का टैक्सी पंजीकरण होना अनिवार्य है। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन

का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।

20. अनुबंधित वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बालोद, छ.ग. के कार्यालय के आधिपत्य में रहेगा।
21. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। **वाहन चालक का लाइसेंस अद्यतन होना चाहिए**। अवकाश या अस्वस्थ्य होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर विभाग इसका जिम्मेदार नही होगा।
22. चयनित वाहन की सेवा आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय कार्यो में भी ली जा सकती है, पेट्रोल/डीजल के अतिरिक्त इसके लिये अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क प्रदाय नही किया जायेगा।
23. वाहन पर आवश्यकतानुसार रंगीन बत्ती, सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।
24. किराए पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं खराब वाहन की सेवा अवधि का के देयक का भुगतान भी नहीं किया जावेगा।
25. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा।
26. देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जावेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
27. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार संबंधित विभाग का होगा। विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन को 10 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 10 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।
28. **एक सप्ताह से अधिक समय तक वाहन का उपयोग ना हो पाने की स्थिति में वाहन सेवा अस्थायी रूप से निलंबित रखी जा सकती है।**
29. **शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं संचालित वाहन का किराया प्रदाय नहीं जायेगा इस संबध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जिला बालोद का होगा।**
30. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति बालोद के द्वारा किया जावेगा तथा उसकी सीमा क्षेत्र जिला बालोद छत्तीसगढ़ होगा।
31. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।
32. तकनीकी प्रस्ताव (परिशिष्ट "ब" तथा "स") को अलग लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव (परिशिष्ट "द") को अलग लिफाफे तथा दोनों प्रस्ताव को एक सीलबंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद के नाम से जमा किया जावे। निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा, तत्पश्चात संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

32.1. लिफाफा "अ" के अंदर निम्नानुसार दस्तावेज रखे जावेगें:-

1. निविदा प्रपत्र।
2. सुरक्षा निधि डिमांड ड्राफ्ट।
3. वाणिज्यिक कर विभाग में निविदा संबंधी सेवा प्रदाय हेतु फर्म के पंजीयक का जीवित प्रमाण पत्र।
4. पेन कार्ड की छायाप्रति।
5. टीन नम्बर की छायाप्रति।
6. अंतिम 03 वर्ष आयकर रिटर्न की प्रति।
7. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों)।
8. फर्म के नाम से टैक्सी परमिट युक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (समस्त वाहनो का)
9. न्युनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश सहित)।
10. वाणिज्यिक कर विभाग का क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र।
11. संस्था में कार्यरत वाहन चालक की संख्या एवं जीवित ड्राइविंग लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।
12. संस्थान का पूर्ण पता एंव उससे संबंधित अधिकृत दस्तावेज की प्रति।
13. घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में 100/- रू. के स्टॉम्प पर)।
14. अन्य दस्तावेज।

विशेष :- 1. तकनिकी लिफाफा में समस्त दस्तावेजों की जॉच उपरांत सही पाये जाने पर ही क्रय समिति के संतुष्ट होने के बाद प्राईज बीड का लिफाफा खोला जावेगा।

32.2 लिफाफा "ब" के अंदर निम्नानुसार दस्तावेज रखे जावेंगे :-

1.परिशिष्ट "द" वित्तीय निविदा प्रपत्र में स्पष्ट अक्षरों में संबंधित कॉलम में दर अंकित करें।

33. निविदा खोले जाने की तिथी में स्वयं फर्म का स्वामी उपस्थित रह सकते हैं। प्रतिनिधि भेजे जाने की दशा में सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत् करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को निविदा प्रकिया में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
34. अलग-अलग फर्मो द्वारा एक ही निविदा दर पाये जाने की स्थिति में समिति का निर्णय मान्य होगा।
35. उक्त अनुबंध की वैधता कार्यादेश की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक मान्य होगी।
36. सफल निविदाकर्ता को प्रदाय आदेश मिलने के तीन दिवस के अंदर सहमति के साथ निर्धारित प्रारूप में वाहन चलाने हेतु करारनामा (अनुबंध पत्र 100रू. के स्टॉम्प पेपर में नोटरी के द्वारा सत्यापित कराकर) देना होगा।
37. सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे हुए तथा पृष्ठ क्रमांक अंकित होने चाहिये।
38. निविदाशर्तो में परिवर्तन एवं निविदा निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जिला बालोद के पास सुरक्षित है।
39. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि .... को शाम 05:00 बजे तक एवं निविदा खोले जाने की तिथि .... समय शाम 04:00 बजे निर्धारित है।
40. निविदा संबंधी तिथियों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है।

5-8-17.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला बालोद (छ.ग.)

परिशिष्ट – स
घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black listed) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।
4. यह कि हमारे द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उसकी वैधता के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

वाहन मालिक/फर्म का
नाम ....

पता ....

मोबा. ....

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र मे दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)